रजिस्ट्री सं. डी॰ (डी॰ एन॰)-71 REGISTERED No. D. (D.N.)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

C Kaur 13.12.84

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 511] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 17, 1984/आश्विन 25, 1906

No. 511] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 17, 1984/ASVINA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1984

शुद्धि-पत्र

का. आ. 794 (अ) :—भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 2 खंड 3, उप-खंड (2) दिनांक 29 जून, 1984 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 475 (अ) के हिन्दी रूपांतर में निम्नलिखित शुद्धियां की जाती हैं :—

(1) अधिसूचना के पृष्ठ सं. 2 पर अनुसूची की मद सं. 2 (क) के स्तंभ 4 की पांचवीं पंक्ति में "125·05" अंकों के स्थान पर "125 00" अंक पढ़े जाएं ।

(2) अधिसूचना के पृष्ठ सं 2 पर अनुसूची की मद सं 6 के स्तम्भ 2 की पहली और दूसरी पंक्ति में "पालूमीरा" शब्द के स्थान पर "पालमीरा" शब्द पढ़ा जाए ।

(3) अधिसूचना के पृष्ठ सं 2 पर अनुसूची की मद सं. 9 के स्तंभ 3 में "" तद्धैव का निशान स्तंभ 2 की पहली पंक्ति के सामने लगाया जाए ।

(4) अधिसूचना के पृष्ठ सं 2 पर अनुसूची की मद सं 11 के स्तम्भ 2 "खाद" शीर्षक की तीसरी पंक्ति में ")" कोष्ठक के स्थान पर "(" कोष्ठक लगाया जाए ।

(5) अधिसूचना के पृष्ठ सं 2 पर अनुसूची की मद सं 13 के स्तम्भ 2 "दाल" शीर्षक की दूसरी पंक्ति में "दाल" शब्द से पहले कोष्ठक को हटा दिया जाए ।

(6) अधिसूचना के पृष्ठ सं 2 पर अनुसूची की मद सं 14 के स्तंभ 4 की सातवीं पंक्ति में ", "(स्पाए)" शब्द का हटा दिया जाए ।

(7) अधिसूचना के पृष्ठ सं. 3 पर अनुसूची की मद सं. 17 के स्तम्भ 2 की पन्द्रहवीं पंक्ति को हटा दिया जाए और सोलहवीं पंक्ति में एम जी के आगे तथा अठारहवीं पंक्ति में एम जी. और एल बी. बाइसवीं (सी) के आगे "," लगाया जाए । इसी स्तम्भ की बाइसवीं पंक्ति में डार्क पी एल के आगे "," लगाया जाए । पचीसवीं पंक्ति में "डी डी" शब्द के स्थान पर "डब्ल्यू डी" शब्द लिखा जाए । छब्बीसवीं पंक्ति के अन्त में श्रेणी शब्द के आगे "," लगाया जाए ।

(8) अधिसूचना के पृष्ठ सं 3 पर अनुसूची की मद सं. 20 के स्तम्भ 4 की दूसरी पंक्ति में "180 55" अंक के स्थान पर "180.00" अंक पढ़े जाए ।

[सं. 9-1/84-डब्ल्यू. पी. टी -ई. एस अर्थ प्रशा.]
हरमोहिन्दर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 11th October, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 794(E).—In the English version of the Notification **No. S O. 475(E)**, dated the 29th June, 1984, published in the

Gazette of India Extraordinary dated the 29th June, 1984, the following corrections may be made :—

IN THE SCHEDULE

(i) Under column 4 of Sl. No. 2 on page 3 under Bristles Dark against item "102 m.m. to 127 m.m." read "130.00" instead of "130.0";

(ii) On page 4 add "1" towards column number;

(iii) Under column 4 of Sl. No. 15 on page 4 under Skin raw read "20.00" instead of "20.20" against item "Goat skins (excluding kid skins)";

(iv) Under column 2 of Sl. No. 16 on page 4 under Cardamom read "(iv)" instead of "(v)" against item "Small Cardamom Seeds";

(v) Under column 2 of Sl. No. 17 on page 4 read "AT, AT" instead of "At, At" and "DBL" instead of "BBL";

(vi) Under column 2 of Sl. No. 20 on page 4 read "Suji" instead of "(soji)".

[No. 9-1|84-WPT-ES.]

HARMOHINDER SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984